न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—364/2011/225 आर.टी.एक्ट (2011/00008)

1. पृथ्वीराज सिंह पुत्र मूलसिंह
2. गोपाल पुत्र मूलसिंह
3. गिरधरसिंह पुत्र मूलसिंह
4. सोभाग कंवर पत्नी मूलसिंह
5. नन्द कंवर पत्नी भवानी सिंह
6. दिलीप सिंह पुत्र भवानी सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. उमराव पुत्र मदनसिंह फौत जरिए वारिसान
   1/1 श्रीमती भंवर कंवर पुत्री उमराव सिंह (फौत)
   1/1/1 राजेन्द्रसिंह पुत्र दौलत सिंह (श्रीमती भंवरकंवर पत्नी राजेन्द्रसिंह)
   1/1/2 पुष्पेंद्रसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह
   1/1/3 देवेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द सिंह
   1/2 बजरंग सिंह पुत्र उमराव सिंह
2. महावीर सिंह पुत्र सज्जनसिंह
3. बाज कंवर पुत्री सज्जनसिंह
4. हंसा कंवर पुत्री श्री सज्जनसिंह फौत जरिए वारिसान।
   4/1 राजलक्ष्मी कंवर पुत्री श्रीमती हंसा कंवर
   4/2 अभयराज सिंह पुत्र श्रीमती हंसा कंवर
   4/3 मैना कंवर पुत्री श्रीमती हंसा कंवर
   4/4 किरण कंवर पुत्री श्रीमती हंसा कंवर
   4/5 प्रदीप सिंह पुत्र श्रीमती हंसा कंवर
   समस्त जाति रावत निवासी ग्राम सलारी हाल निवासी ग्राम शंभु नगर पोस्ट भडोली तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी विरूद्ध आदेश दिनांक 30.05.2011 राजस्व वाद संख्या 77/2007

उपस्थितः—

1. श्री, अजीत सिंह अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री, योगेन्द्र सिंह,अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/2, 2.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 05.
4. रेस्पोडेंट संख्या 1/1/1 से 1/1/3,3, 4/1 से 4/5 अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांक:– 21.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 77/2007 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष राजस्व वाद वास्ते उद्घघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया अपीलांटस की तन्हा खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात ग्राम सलारी तहसील केकड़ी में अवस्थित है जिसमें अन्य किसी का कोई हक अधिकार एवं हिस्सा निहित नहीं है। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना पत्र के कथनों से इंकार किया जाकर कथन किया कि सज्जनसिंह व उमरावसिंह श्री मदनसिंह के ही वारिसान है अर्थात सूरजसिंह व प्रतापसिंह के गोद नहीं गए है, जिससे मदनसिंह की सम्पति में अप्रार्थीगण का भी हक अधिकार एवं हिस्सा निहित है एवं वर्तमान रिकार्ड में अप्रार्थीगण सह खातेदार दर्ज होने से उन्हे कतई पाबंद नहीं किया जा सकता है। अंत में प्रार्थना–पत्र निरस्त करने का कथन किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षकारान की बहस समाअत की जाकर अपने निर्णय में यह अंकित करते हुए कि पुश्तैनी आराजीयात सिद्ध नहीं होती है तथा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त रूप से दर्ज है तथा अंत में प्रार्थना पत्र निरस्त फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 77/2007 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2011 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2, 2 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1/1 से से 1/1/3,3, 4/1 से 4/5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात मदनसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह की तन्हा खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है जो श्रीमदनसिंह की खुदकाश्त आराजीयात होने के कारण अतिरिक्त सहायक कलेक्टर, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 217/56 में श्री मदनसिंह की खुदकाश्त घोषित की गई जो निर्णय दिनांक 11.10.1956 के संलग्न सूची से स्वयं सिद्ध है। चूंकि मदनसिंह के वारिसान में मात्र मूलसिंह पुत्र मदनसिंह के वारिसान यथा वादीगण/अपीलांटस ही मौजूद रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को उक्त आराजीयात बाबत रेस्पोडेंट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलांटस के पक्ष में अन्य रूप से जारी करनी चाहिए थी। अतिरिक्त सहायक कलेक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.1956 अंतर्गत प्रकरण संख्या 214/56 के अनुसार उमरावसिंह श्री प्रतापसिंह के दत्तक पुत्र होना तथा प्रकरण संख्या 218/56 के अनुसार सज्जनसिंह सूरजसिंह के दत्तक पुत्र होना स्वयं सिद्ध है एवं उक्त प्रकरणों में जो भूमि सज्जनसिंह पुत्र सूरजसिंह तथा उमरावसिंह पुत्र प्रतापसिंह की खुदकाश्त भूमि घोषित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

की गई, वह आज भी इन्हीं के तन्हा खातेदारी में दर्ज है एवं उक्त भूमियां सज्जनसिंह व उमरावसिंह द्वारा क्रमशः सूरजसिंह व प्रतापसिंह का दत्तक पुत्र होने के रूप में ग्रहण की है, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंटस द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार सज्जनसिंह व उमरावसिंह को मदनसिंह का ही पुत्र होना अंकित कर रहे हैं, जबकि निर्णय दिनांक 11.10.1956 के अनुसार सज्जनसिंह को सूरजसिंह का पुत्र होने तथा उमरावसिंह को प्रतापसिंह का पुत्र होने के कारण खुदकाश्त में प्राप्त हुई है लेकिन उक्त निर्णय दिनांक 11.10.1956 को अप्रार्थीगण द्वारा आज दिनांक सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौति प्रदान नहीं की है न ही निरस्त करवाया है, वरन तत्समय खुदकाश्त भूमि पर तन्हा काबिज काश्त चले आ रहे हैं। बंदोबस्त विभाग को पूर्व प्रविष्टी को परिवर्तित करने का कोई क्षेत्राधिकार नही था, लेकिन उनके द्वारा सज्जनसिंह दत्तक पुत्र सूरजसिंह तथा उमरावसिंह दत्तक पुत्र प्रताप सिंह की खुदकाश्त भूमियां इनके नाम तन्हा खातेदारी में दर्ज कर दी, लेकिन मदनसिंह पुत्र अर्जुन सिंह क तन्हा खातेदारी की भूमि जो वर्तमान में मूल सिंह पुत्र री मदनसिंह के वारिसान के नाम तन्हा दर्ज करनी चाहिए थी के बजाए सज्जनसिंह व उमरावसिंह के नाम भी त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज कर दी, जिसका उन्हें कोई क्षेत्राधिकार नहीं था एवं ऐसी प्रविष्टीयां प्रथम दृष्टया शून्य प्रविष्टीयां है जिसके आधार पर अप्रार्थीगण में विवादित भूमि के स्वत्व कतई निहित नहीं हुए। वरन अपीलांटस में ही मूल रूप से काश्तकारी स्वत्व निहित हैं जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में होने का पूर्णतया सिद्ध था। वादग्रस्त आराजीयात अपीलांटस को अपने पूर्वज मूलसिंह पुत्र मदनसिंह से प्राप्त हुई है जिस पर तन्हा काबिज काश्त चले आ रहे है, लेकिन वर्तमान अधिकार अभिलेख में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टी की आड में रेस्पोडेंट वादग्रस्त आराजीयात को रहन, बेचान मुंतकिल करने तथा अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने पर सख्त आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गए तो अपीलांट अपने पूर्वजों प्राप्त तन्हा खातेदारी से महरूम हो जाएगें, जिससे अपीलांट को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी इसलिए रेस्पोडेंट को जरिए ताफैसला वाद पाबंद फरमाना आवश्यक है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 77/2007 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2011 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/2, 2 ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण नें गलत तथ्यों की आधार पर, वाद दायर किया गया जो खारिज योग्य है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को स्व0 मदन सिंह के वारिस होने के कारण प्राप्त हुई है जिसके अनुसार ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का हक व हिस्सा है मौके पर हिस्से अनुसार ही कब्जा काश्त किया जा रहा है अप्रार्थी दत्तक पुत्र बताया गया है जबकि किसी के भी गोद नहीं गया एवं न ही अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 पिता स्व0 मदन सिंह के प्राकृतिक वारिस है जिनका हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत सम्पत्ति पर पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि वाद को सिद्ध करने का भार प्रार्थीगण पर छोडा गया था, जमाबंदी सम्वत 2041 के अनुसार वाद वर्णित आराजीयात सज्जन सिंह उमराव सिंह व मूल सिंह पिता मदन सिंह के नाम दर्ज है मूल सिंह के पुत्र होने से सज्जनसिंह उमराव सिंह व मूल सिंह के नाम दर्ज हुई है। अतः अपील अपीलांटस खारिज किए जाने के आदेश प्रदान करावे।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि वादग्रस्त आराजीयात मदनसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह की तन्हा खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात थी जो मदनसिंह की खुदकाश्त आराजीयात होने के कारण अतिरिक्त सहायक कलेक्टर, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 217/56 में श्री मदनसिंह की खुदकाश्त घोषित की गई जो निर्णय दिनांक 11.10.1956 के अनुसार उमरावसिंह श्री प्रतापसिंह के दत्तक पुत्र होना तथा प्रकरण संख्या 218/56 के अनुसार सज्जनसिंह सूरजसिंह के दत्तक पुत्र होना स्वयं सिद्ध है एवं उक्त प्रकरणों में जो भूमि सज्जनसिंह पुत्र सूरजसिंह तथा उमरावसिंह पुत्र प्रतापसिंह की खुदकाश्त भूमि घोषित की गई, वह आज भी इन्हीं के तन्हा खातेदारी में दर्ज है एवं उक्त भूमियां सज्जनसिंह व उमरावसिंह द्वारा क्रमशः सूरजसिंह व प्रतापसिंह का दत्तक पुत्र होने के रूप में ग्रहण की है। जहां तक प्रतिवादी/रेस्पो0 के गोद जाने का प्रश्न है यह वाद में बाद साक्ष्य एवं परीक्षण निर्धारित होगा,तो उसके पूर्व सम्पति खुर्द–बुर्द होने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। घोषणा के प्रकरणों में माननीय उच्चतर न्यायालयों ने भी प्रथम दृष्टया वादग्रस्त आराजीयात को सुरक्षित एवं सरंक्षित किये जाने के सिद्धान्त अपने अनेको निर्णय में प्रतिपादित किया है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण/अपीलांट के पक्ष में होने से तथा अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस के पक्ष में नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2011 को निरस्त कर ताफैसला मूल वाद तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 77/2007 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2011 को निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 30.05.2011 में अंकित विवादित आराजी की ताफैसला अपील मूल वाद तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner